83

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२०१६ विविध निगरानी 9045-I/16

१- श्रीमती रैवती बेवा श्री छोटेलाल,
२- नन्दन सिंह पुत्र स्व० श्री छोटेलाल,
३- मुरारीलाल पुत्र स्व० श्री छोटेलाल,
४- केदार पुत्र स्व० श्री छोटेलाल,
५- रमेश पुत्र स्व० श्री छोटेलाल,
सभी निवासीगण ग्राम- लालौर खुर्द, तैहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) ।
६- महिला श्रीदेवी पुत्री स्व० श्री छोटेलाल, निवासिन पुरानी जीन मुरैना, तैहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) ।
७- महिला किमला पुत्री स्व० श्री छोटेलाल, निवासिन वामौर, मुरैना, तैहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) । --------प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- हरप्रसाद पुत्र श्री शिवचरण, निवासी ग्राम लालौर, तैहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) । ----- असल प्रतिप्रार्थी
२- जगदीश प्रसाद पुत्र श्री दीनानाथ,
३- दामोदर पुत्रश्री शिवचरण
४- रामनिवास पुत्र श्री शिवचरण
निवासीगण ग्राम लालौर खुर्द, तैहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) ।

----- तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 5-8-16 प्रस्तुत
रीडर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १५२ सी०पी०सी०, सहपठित धारा ३२-म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ बाबत लिपिकीय भूल सुधार प्र०क्र० २३४१-दो ०६ निगरानी। आदेश दिनांक २३-६-१६

क्रमशः----२

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9045—एक / 16 जिला —मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
08.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 एवं सी.पी.सी सहपठित धारा में आवेदन पत्र 152 प्रस्तुत किया गया है। 2– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2341–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 23.6.16 के शीर्षक में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी कमांक–5 सुरेश का नाम टाइपिंग हो गया है जबकि सही नाम रमेश है, इसी प्रकार प्रतिप्रार्थी कमांक –1 हरप्रसाद के पिता का नाम टाईपिंग एवं लिपिकीय भूल से शिवचरण के स्थान पर शिवराज निगरानी के शीर्षक में टाइपिंग हो गया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त भूल सुधार किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का आवेदन तथा निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी कमांक–5 सुरेश के स्थान पर सही नाम रमेश पढ़ा जावे। इसी प्रकार प्रतिप्रार्थी कमांक –1 हरप्रसाद के पिता का नाम शिवराज के स्थान पर शिवचरण पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	